




रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र

(रेल मंत्रालय भारत सरकार का संगठन)

16585
5/9.




CENTRE FOR RAILWAY INFORMATION SYSTEMS

(An Organisation of the Ministry of Railways, Govt. of India)

No.2012/CRIS/PERS/RTI/Misc.

September 02, 2014

✓ D.D.(PG) & CPIO,
Room No. 05, RTI Cell,
Railway Board,
New Delhi -110001



Sub: - Information sought under RTI Act 2005.

Please find enclosed an application of Shri Vinay Kr. Umar dated 28.08.2014 received under RTI, Act 2005. The information sought in the application pertains to Railway Board. Under provision of section 6(3) of RTI Act, 2005, copy of his application is being transferred to you for providing requisite information to the applicant.

Shri Vinay Kr. Umar has deposited fee of Rs.10/- vide Postal Order No.25F 510720 dated 15.08.2014.

DA/1

(V.S.Dahiya)
Addl. Registrar
& APIO/CRIS

Copy to Shri Vinay Kr. Umar, C/o M/s V.K.Brothers, Kishun Prashad Ki Gali, Mirzapur-231001 for information please. He is advised to correspond with Railway Board in this regard.

DFM 6(3)
x

DRSCIC)

चाणक्यपुरी, नयी दिल्ली-110021

CHANAKYAPURI, NEW DELHI-110021

टेलीफोन/TELEPHONE : 24104525, 24106717 फैक्स/FAX : 91-11-26877893



V.K. BROTHERS

V.K. BROTHERS

MANUFACTURERS ALL KINDS OF NON FERROUS INGOTS REFINERS AND COAL MERCHANT

श्रीमान्,

Date - 28/08/2014

जनसूचना अधिकारी/रजिस्ट्रार

रूम नं0 105

रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र,

चाणक्यपुरी - न्यू दिल्ली - 110021

1065
01/09/14

विषय - सूचना अधिकार अधिनियम सन् 2005 के अन्तर्गत पोस्टल आर्डर नं0 25F510720 मु0 10/- को ग्राह्य करते हुए मांगी गयी सूचना का सिलसिलेवार ढंग से यथाशीघ्र उत्तर दिये जाने हेतु।

नीलामी द्वारा अनुपयोगी सामग्रियों की बिक्री राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे के आक्सन साइड पर की जाती है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रेता व्यापारी द्वारा उच्चतम बोली लगायी जाती है, वह माल क्रय किया जाता है, इस सन्दर्भ में कृपया निम्नलिखित सूचना दिये जाने की महती कृपा करें -

1. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत विक्रय किये जाने वाले कन्साइनमेन्ट पर अन्तर्राज्यीय (Interstate) व्यापारियों को किस प्रकार बिक्री की जाती है।

सभी राज्यों में केन्द्रीय बिक्री कर की एक समान व्यवस्था दी गयी है क्या नीलामी बिक्री के सन्दर्भ में सभी राज्यों में रेलवे द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर कानून समान रूप से लागू किये गये हैं? यदि किसी राज्य में भिन्न है तो क्यों? एवं किस प्रावधान के अन्तर्गत?

3. केन्द्रीय बिक्री की दशा में फार्म 'C' की अनिवार्य स्वीकार्यता है, ऐसी दशा में फार्म 'C' स्वीकार न किये जाने एवं अन्तरप्रान्त हेतु पारगमन पत्र (D-10) जारी न किये जाने की कौन सी वैध व्यवस्था प्रचलित की गयी है?

4. पूरे देश में E-Auction द्वारा अनुपयोगी स्क्रेप बिक्री के सन्दर्भ में अन्य प्रान्तों के व्यापारियों को बिक्री की दशा में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के पालन के सन्दर्भ में क्या दिशा निर्देश जारी किये गये हैं?

(समर्थ: ... 2)



V.K. BROTHERS

MANUFACTURERS ALL KINDS OF NON FERROUS INGOTS REFINERS AND COAL MERCHANT

Date - 28/08/2014

(2)

5. प्रान्त बाहर के क्रेता व्यापारियों से फार्म 'C' के माध्यम से बिक्री न किये जाने हेतु बिहार, मध्य प्रदेश के अन्तर्गत आने वाले स्क्रेप डिपो रेलवे द्वारा किस आदेश, नियम एवं उपनियमों द्वारा मना किया जाता है?
6. राष्ट्रीय स्तर पर बिक्री किये जाने वाले अनुपयोगी सामग्रियों की नीलामी हेतु फार्म 'C' की स्वीकार्यता का उल्लेख अनिवार्य रूप से किसमें किया जाता है?

संलग्नक -

पोस्टल आर्डर नं० 5 F 510720

प्रार्थी

(विनय कुमार उमर)

पता - M/s V. K. Brothers
Kishun Prashad Ki Gali
Mirzapur - 231001